ालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीका

मुकदमा नम्बर 69 / 2017-18 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवानः– राज्य सरकार बनाम सुगनाराम

निर्णय

दिनांकः– 30 / 4 / 18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धर्मास अन्तर्गत धारा 91 एल.आ एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल सुगनाराम पुत्र/पत्नि श्री अनाराम जाति जाट निवासी भिंगसरिया द्वारा ग्राम भिंगसरिया के अराजी खसरा नम्बर 47 तादादी 7.96 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु.गोचर भूमि पर सम्वत् 2074 में नाजायज गेहूं की बुवाई कर भूमि में से 0.15 हैक्टेयर/वर्गमीटर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने लिखा है कि मेरे द्वारा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है अगर मेरे पास अपने खसरे की सीमा से ज्यादा भूमि निकलती है तो मैं राजीखुशी छोड़ने को तैयार हूं।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर गेहूं की बुवाई कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल सुगनाराम का उक्त खसरा नम्बर 47 तादादी 7.96 हैक्टेयर गै.मु.गोचर भूमि में से 0.15 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल सुगनाराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल सुगनाराम पुत्र/पत्नि श्री अनाराम जाति जाट निवासी भिंगसरिया को ग्राम भिंगसरिया के खसरा नम्बर 47 तादादी 7.96 हैक्टेयर गै मु गोचर भूमि में से 0.15 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2074 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 2.00 रूपये का 50 गुणा से 100=00 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.18 सुनाया गया।